

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड  
आरएचएसडीपी बिल्डिंग, द्वितीय तल, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक : आरएमएससी/वित्त/बजट/2011-12/184

दिनांक : 17.11.11

1. प्रमुख शासन सचिव  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक जनस्वास्थ्य  
राजस्थान, जयपुर

विषय:- स्थानीय क्रय हेतु आवंटित बजट राशि 20 % के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने बाबत।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के आदेश क्रमांक 359 दिनांक 05.10.2011 के द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत अत्यावश्यक औषधियों के स्थानीय स्तर पर क्रय हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया था।

उक्तानुसार आवंटित अग्रिम बजट राशि 20 % के उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्नानुसार निर्धारित प्रारूप में अतिशीघ्र प्रेषित करवाने के लिए संबंधित को निर्देशित कराएँ।

उक्तानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही वित्त विभाग द्वारा भविष्य में औषधियों के क्रय हेतु आरएमएससी को बजट आवंटन किया जाएगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कराएँ।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी

क्रमांक : आरएमएससी/वित्त/बजट/2011-12/184

दिनांक : 17.11.11

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, आरएमएससी एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान (समस्त)
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, राजस्थान, जयपुर।
4. प्राचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कालेज, जयपुर/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/झालावाड़।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जयपुर
6. कार्यकारी निदेशक, आरएमएससी (समस्त), जयपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान (समस्त)
8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान (समस्त)
9. जिला परियोजना समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान (समस्त)
10. प्रभारी सर्वर रूम, स्वास्थ्य भवन एवं आई टी कंसल्टेन्ट, आरएचएसडीपी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार पत्र को विभागीय वेबसाईट एवं आरएमएससी की वेबसाईट [www.rmssc.nic.in](http://www.rmssc.nic.in) पर अपलोड करना तथा संबंधित को e-mail करना भी सुनिश्चित कराएँ।
11. रक्षित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (वित्त)

BA किताब 111

संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा  
अधिकारी / अधीक्षक कार्यालय का नाम व पता

क्रमांक:

दिनांक:

उपयोगिता प्रमाण – पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निगम की स्वीकृति संख्या.....दिनांक.....  
द्वारा स्वीकृत राशि रु ..... में से राशि रु.....का उपयोग जिस प्रयोजन के  
लिए राशि स्वीकृत की गयी थी, के लिए कर लिया गया है। अवशेष राशि रु ..... उपलब्ध है।

सहायक लेखाधिकारी /  
लेखा सेवा का वरिष्ठ अधिकारी

अधीक्षक संबंधित अस्पताल /  
मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी /  
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

Ln